

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 1999 सत्र

विनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई, 1999 (आषाढ 18, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

मध्यप्रदेश विधान सभा
प्रश्नोत्तर की निधन उम्मेल

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा ध्यान

(1) श्री नरेन्द्र भैवरलाल नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-के की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 34 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री हुकुम सिंह कराडा, ऊर्जा मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 16 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दाऊराम रत्नाकर, श्री बनवारीलाल अग्रवाल, डॉ.आई.एम.पी.वर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कई नगरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तोड़-फोड़ किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री जगतं कुमार मलैया, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, दमोह एवं टीकमगढ़ जिलों में बनों की अवैध कटाई होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री शिवरत्न शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के भाटापारा में डैकैती पड़ने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

श्री श्रवण कुमार पटेल, लोक निर्माण मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 1999 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 135 (क्रमांक 5111) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निर्धारित
समय
30 मि.

5. शासकीय विधि विधेयक कार्य

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

1 घन्टा

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, आवास और पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 24 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

निर्धारित समय

६. अशासकीय संकल्प

(1) श्री हरीशंकर जायसवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

उमि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में बेची जाने वाली जीवन-रक्षक औषधियों पर प्रदेश शासन द्वारा लिये जा रहे विभिन्न कर समाप्त किये जायें।"

(2) छीधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

उमि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के अम्बल, गवालियर, बुन्देलखण्ड व विन्ध्य क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसलों को पहाड़ा (नीलगाय) द्वारा बहुत नुकसान पहुंचाने से किसान बेहव परेशान हैं, ऐसे जानवर को वन विभाग द्वारा पकड़कर किसी अन्य क्षेत्र में भेजा जाय अथवा इन्हे मारने की किसानों को अनुमति दी जाय।"

(3) कुवर तेज सिंह सेधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

उमि. "सदन का यह मत है कि मालवा अंचल को सूखे की घटेट से बचाने के लिये नर्मदा, किंप्रा, कालीसिन्ध, लिंक प्रोजेक्ट (देवास जिले में पूजापुरा बागली के पास से) का विस्तृत सर्वे करवा कर इस योजना की स्वीकृति प्रदान की जावे तथा इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु समय सीमा निर्धारित की जाय।"

(4) श्री धूलसिंह शावब, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

उमि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के समस्त धर्म स्थलों के रख-रखाव हेतु राज्य धर्मस्व मंडल का गठन किया जाय।"

(5) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

उमि. "सदन का यह मत है कि भोपाल शहर को शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु नर्मदा नदी से जोड़ा जाय।"

शोपान :
विनांक : ३ चूलड़, १९२२

के.पी. शिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विद्यालय सचिव।